



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01 / यो0ब0-25 / 2019-845 दिनांक : 24.12.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर / पलामू ब्याघ परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर / उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन की जाने वाली "इको टूरिज्म" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क, लोध जल प्रपात, पलामू एवं नकटी जलाशय, चाईबासा में इको टूरिज्म के विकास कार्य हेतु ₹0 299.540 लाख (दो करोड़ निनानवे लाख चौवन हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-08 / 2019-23 / स्वी0 व0प0 दिनांक 22.12.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4 / यो0ब0-08 / 2019-43 / आ0 व0प0 दिनांक 23.12.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-46-इको टूरिज्म योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 299.540 लाख (दो करोड़ निनानवे लाख चौवन हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101460103	119.815
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101460323	179.725
कुल :-		299.540

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित सभी पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101460103, 19S240601101460323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपलक, झारखण्ड होंगे। उनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी को मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीयोजना कार्यान्वयन के पूर्व किये जा रहे कार्यों पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक रथाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्ताविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं हैं, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड़डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हो।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप



किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—सह—ज्ञांपाक—686, दिनांक—05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. रचीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप आवंटित राशि का व्यय करने से पूर्व प्रस्तावित कार्यों पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुलग्नक :— यथोक्त |

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—25 / 2019—845 दिनांक—24.12.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—25 / 2019—845 दिनांक—24.12.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर / जमशेदपुर / चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक कार्यान्वित की जाने वाली “इको टूरिज्म योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख रु ० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	क्र० सं०	कार्य विवरणी	कुल प्रावकलित रशि	वित्तीय वर्ष 2021-22		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
वित्तीय वर्ष 2021-22							
1	पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमंडल।	1	बेतला स्थित Tourist campus, Tree house, Canteen, Ticket घर, Dormitory तथा केचकी स्थित टूरिस्ट परिसर का रख-रखाव।	20.000	8.000	12.000	20.000
		2	बेतला टूरिस्ट परिसर में शौचालय का रख-रखाव।	2.000	0.800	1.200	2.000
		3	बेतला में स्वागत कक्ष (reception centre) का रख-रखाव।	2.000	0.800	1.200	2.000
		4	बेतला स्थित टूरिज्म व्यवस्था संधारण हेतु दैनिक मजदूरों की मजदूरी-10	9.187	9.187	0.000	9.187
		5	बेतला स्थित कमलदह झील में Ecotourism facility का निर्माण (Construction of bird watching wooden structure benches and other required facility.)	35.825	14.330	21.495	35.825
		6	केचकी में पर्यटकों के लिए बैंच, गजेबो, संगम रथल पर रात्रि विश्राम के लिए टैंट और पार्किंग।	15.000	6.000	9.000	15.000
		7	कमलदह झील में Bird-watching के लिए Birdge cum watch tower	15.000	6.000	9.000	15.000
		8	छिपादोहर (बेतला नेशनल पार्क) में इको विकास समिति द्वारा संचालित ग्रामीण परिवेश में पर्यावरण के रात्रि विश्राम के लिए Eco-Cottages एवं अन्य सुविधाएँ।	30.000	12.000	18.000	30.000
योग :-				129.012	57.117	71.895	129.012
2	पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल।	1	लोध फॉल में इको विकास समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं Equipments की व्यवस्था।	3.540	1.540	2.000	3.540
		2	लोध प्रपात के सीढ़ियों एवं पहुंच पथ की संरक्षण, मुख्य जल प्रपात तक पहुंचने के लिये लकड़ी के पुल का निर्माण।	125.000	40.000	85.000	125.000
योग :-				128.540	41.540	87.000	128.540
3	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना, जमशेदपुर	Nature interpretation centre at makulacocha campus					
		1	Caretaker cum naturalist 1X12X25000 = 300000.00	3.000	3.000	0.000	3.000
		2	सुरक्षा प्रहरी - 5 Nature interpretation centre = 1x12x8094.58 = 97135 Makulacocha = 2X12X8094.58 = 194270 Pindrabera = 1X12X8094.58 = 97135	3.885	3.885	0.000	3.885
		3	Safari कर्मी - 2 Nature interpretation centre = 1x12x8094.58 = 97135 Canteen at Makulacocha = 1X12X8094.58 = 97135	1.943	1.943	0.000	1.943
योग :-				8.828	8.828	0.000	8.828
4	पोङ्गाहाट वन प्रमण्डल, चार्झबासा	1	नकटी जलाशाल में Eco trek, boating, fooding, bird watching, camping, view points etc	33.160	12.330	20.830	33.160
योग :-				33.160	12.330	20.830	33.160
वित्तीय वर्ष 2021-22 का योग :-				299.540	119.815	179.725	299.540

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड राज्य



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्विंशीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के समाने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2019_a/845

दिनांक -

24-Dec-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110146010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01-इको टूरिज्म 01 - वेतन एवं भत्ते	67515	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	5,711,700.00 रुपये सत्तावन लाख रुपयारह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110146010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01-इको टूरिज्म 01 - वेतन एवं भत्ते	67521	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	4,154,000.00 रुपये इक्तालीस लाख चौपन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110146010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01-इको टूरिज्म 01 - वेतन एवं भत्ते	67530	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 03 - मजदूरी	882,800.00 रुपये आठ लाख बयासी हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

रुपये एक करोड़ सात लाख अड्डतालीस हजार पॉंच सौ

क्रमिक योगः

10,748,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110146010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01-इको-टूरिज्म 01 - वेतन एवं भत्ते	67531	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 03 - मजदूरी	1,233,000.00 रुपये बारह लाख तैसीस हजार
5	S 19 24060110146010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01-इको-टूरिज्म 03 - प्रशासनिक व्यय	67540	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 23 - आपुर्ति एवं सामग्री	7,189,500.00 रुपये इकहत्तर लाख नवासी हजार पैसे सौ
6	S 19 24060110146010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01-इको-टूरिज्म 03 - प्रशासनिक व्यय	67544	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 23 - आपुर्ति एवं सामग्री	8,700,000.00 रुपये सित्यासी लाख
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः		रुपये दो करोड अठहत्तर लाख इकहत्तर हजार रुपये दो करोड अठहत्तर लाख इकहत्तर हजार		17,122,500.00 27,871,000.00
(NAND KISHORE SINGH) ADD: PCCE DEV JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110146010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इशो-टूरिज्म 01-इशो टूरिज्म 03 - प्रशासनिक व्यय	67552	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,083,000.00 रुपये बीस लाख तिरयासी हजार

State Scheme : NA
 Central Scheme : NA



योगः

रुपये दो करोड निन्नानवे लाख चौपन हजार

2,083,000.00

क्रमिक योगः

29,954,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
JADU PCCE DEV JHARKHAND